हिन्दुस्तान
तरक्की को चाहिए नया नजरिया
मंगलवार, 28 फरवरी 2017, बरेली, पांच प्रदेश, 20 संस्करण
www.livehindustan.com

# मेडिकल कालेज में बच्चे को तड़पता छोड़ गए मां-बाप

## इलाज की गुहार

बरेली | विधि संवाददाता

लकवे की गंभीर बीमारी से जूझ रहे 12 वर्षीय बच्चे का अधूरा इलाज छोड़कर उसके मां-बाप मेडिकल कालेज से भाग गये। एसआरएमएस मेडिकल कालेज के चेयरमैन देवमूर्ति ने बीमार बच्चे के मां-बाप के खिलाफ केस दायर कर विधिवत इलाज कराने की गुहार की है।

सोमवार को अदालत में एक अजब केस पेश हुआ। एसआरएमएस मेडिकल कालेज के चेयरमैन देवमूर्ति ने सिविल जज सीनियर डिवीजन शक्ति सिंह की कोर्ट में केस दायर किया है। उनका आरोप है कि इज्जतनगर की अवध धाम कालोनी के कान्ता प्रसाद गंगवार ने अपने 12 वर्षीय बेटे निशांत को 16 जुलाई को मेडिकल कालेज में भर्ती कराया था। जांच के बाद बच्चे को जीवीएस नामक लकवे की गंभीर बीमारी निकली। बच्चे का पूरा धड़ लकवाग्रस्त हो गया था। बच्चे को वेंटीलेटर पर रखा गया। बच्चे के मां-बाप उसकी छुट्टी कराकर सर गंगाराम अस्पताल दिल्ली में ले गये। वहां भी इसी बीमारी की पुष्टि हुई। बच्चे को उसके मां-बाप ने बीते 17 अगस्त को दोबारा फिर से एसआरएमएस मेडिकल कालेज में भर्ती करा दिया।

बीमार बच्चे के मां-बाप बीते नौ नवम्बर तक अस्पताल में उसकी तीमारदारी करते रहे। इसके बाद से बच्चे के मां-बाप अचानक अस्पताल से फरार हो गये। मेडिकल कालेज प्रबंधन का आरोप है कि अब बीमार बच्चे का आपरेशन होना है। आपरेशन के लिए उसके परिजनों की विधिवत अनुमति की जरूरत है। बच्चे के परिजनों को बुलाने को कई चिटठी भी भेजी गई। मगर वह तीमारदारी करने नही पंहुच रहे है। थक हारकर मेडिकल कालेज प्रबंधन ने अब अदालत की शरण ली है।

इस मामले की सुनवाई सिविल जज सीनियर डिवीजन शक्ति सिंह की कोर्ट में हुई। अदालत ने अस्पताल प्रबंधन की बहस सुनकर आदेश को अब एक मार्च की तारीख नियत की है।